न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1सायरी पुत्री प्रभुराम 2पिंची पुत्री प्रभुराम जातियान माली निवासीगण चेनार तहसील व जिला नागौर।	1 जंवरीलाल पुत्र हीरा 2मोहनलाल पुत्र हीरा 3पापालाल पुत्र हीरा जातियान माली निवासीगण नागौर। 4मंगलाराम पुत्र प्रभुराम 5खींयाराम पुत्र प्रभुराम जातियान माली निवासीगण चेनार। 6तहसीलदार, नागौर। 7पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नागौर जरिये शाखा प्रबन्धक।	

उपस्थिति –
1श्री भागीरथ चौधरी, वकील अपीलांट्स की ओर से।
2श्री श्याम कुमार व्यास, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 05.02.18

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम भदाणा के नामान्तरकरण सं. 2353 दिनांक 14.01.16 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.02.16 को प्रस्तुत की गई है। अपील के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 जंवरीलाल द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.17 को प्रस्तुत किया गया है। जिसका वकील अपीलांट द्वारा जवाब दिनांक 20.7.17 को प्रस्तुत किया गया है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पर सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.15 की पालना में तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं. 2353 के विरूद्व पेश की गई है। किसी भी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अनुपालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण की कानूनन अपील नही हो सकती, केवल उस निर्णय व डिक्री को ही चेलेन्ज किया जा सकता है। इस कारण अपील विधि अनुसार चलने योग्य नही होने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 552 नजीर प्रस्तुत की गई है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील में वर्णित निर्णय व डिक्री की अपीलांट द्वारा राजस्व मंडल अजमेर में अपील पेश कर दी गई है। जिसमें स्थगन आदेश भी जारी हो रखा है। इसलिये उक्त अपील विधि अनुसार चलने योग्य नही होने से इसी स्टेज पर निरस्तनीय है।

{3}– वकील अपीलांट द्वारा बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि राजस्व अपील अधिकारी नागौर के द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित अवश्य किये गये है। जो विधिविरूद्व तरीके से पारित किये गये है तथा विधिविरूद्व तरीके से डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत हुआ। जिसके विरूद्व अपील पेश की गई है। न्यायालय एवं डिक्री अनुपालना में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण के विरूद्व अपील कोई कानूनन अपील नही हो सकती हो और अपीलांट ने उक्त गलत निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे दी है। लेकिन विधिविरूद्व स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के विरूद्व अपील पेश की गई है। जिसका निर्णय मेरिट पर किया जाना चाहिये। उक्त निर्णय व डिक्री की अपीलांट द्वारा अपील करने व स्थगन आदेश जारी हो रखे है। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने मिलावट कर स्थगन होते हुए भी पूर्व की पेशी

अपर कलक्टर, नागौर

दर्ज करते हुए गलत नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। जिसकी सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा ही सक्षम है। इसलिये रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिये।

{4}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण सं. 2353 ग्राम भदाणा के खसरा नं. 1091 के संबंध में न्यायालय अपील अधिकारी नागौर के अपील क्रमांक 144/2015 निर्णय दिनांक 24.07.15 व तहसीलदार के आदेश के अनुसरण में भरा गया है। न्यायालय आदेश के अनुसार ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है। जिससे कोई पक्षकार असंतुष्ट हो तो सक्षम न्यायालय में चुनौती ही दी जा सकती है। न्यायालय आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण की वैधता की जांच करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण न्यायालय आदेश से भरा जाना व अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत हो जाने के तथ्यों को लेकर कोई विरोधाभास भी नही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट जंवरीलाल की प्रारंभिक आपत्ति उचित आधारों पर प्रतीत होती है।

{5}—उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट जंवरीलाल का प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 13.4.17 स्वीकार कर अपीलांट्स की अपील इस स्टेज पर खारिज की जाती है।

{6}—आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर